

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 197]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 27 मार्च 2018—चैत्र 6, शक 1940

परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 मार्च 2018

क्र. एफ-22-10-2018-आठ.—मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-22-41-2011-आठ, दिनांक 21 जनवरी 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 21 जनवरी 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करती है अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, अनुसूची में, कॉलम (1) में, शब्द “पुलिस विभाग की यातायात शाखा में पदस्थ समस्त निरीक्षक तथा उप निरीक्षक” के स्थान पर, शब्द “राज्य में पुलिस थानों/यातायात पुलिस थानों में पदस्थ निरीक्षक, सूबेदार, उप निरीक्षक तथा सहायक निरीक्षक” स्थापित किए जाएं।

No. F -22-10-2018-VIII.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 200 the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, make the following amendment in this department's notification No. F-22-41-2011-VIII, dated 21st January, 2013 published in the Madhya Pradesh Gazette, dated 21st January 2013 nemely:—

AMENDMENT

In the said notification, in the schedule, in column (1), for the words “all Inspectors and sub-Inspectors, posted in Traffic branch of police Department”, the words “Inspectors, Subedar, sub-Inspector and Assistant sub-Inspector posted in police station/Traffic police station in the state” shall be substituted.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमल नागर, उपसचिव.